पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-600
दिनांक- 10.03.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **नकली हालमार्किंग प्रयोग कर अवैध व मिलावटी शराब की बिक्री करने वाले 01 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से कुल 22 पेटी शराब कुल कीमती करीब 2,50,000/- रूपये बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

होली त्यौहार के दृष्टिगत चलाये जा रहे अवैध शराब चेकिंग अभियान के मद्देनजर दिनांक 09.03.2025 को ठाकुरगंज पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मरीमाता मंदिर के पास एक व्यक्ति अपने घर में गैर प्रान्त की अवैध शराब रखे है और उसी शराब से भिन्न भिन्न कम्पनियो की खाली बोतलो में भरकर फर्जी हालमार्किंग एवं स्टिकर व ढक्कन लगाकर असली शराब के रूप में बेचता है, ठाकुरगंज पुलिस द्वारा मौके पर दबिश देकर 22 पेटी अवैध व मिलावटी शराब तथा 04 बोरी विभिन्न ब्राण्डों के शराब की खाली बोतलें व ढक्कन व फर्जी कूटरचित हालमार्क व क्यूआर कोड के साथ अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र चेतराम निवासी 544/1027 एकता नगर बरौरा हुसैन बाडी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-128/2025 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 उ0प्र0 आबाकारी अधि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गैर प्रांतो से शराब की तस्करी करके विभिन्न ब्राण्डो की खाली बोतलों में भरकर व मिलावट कर धोखाधडी व नकली कूटरचित हालमार्क स्टीकर, क्यूआर कोड लगाकर लगातार बिना किसी लाईसेंसी अधिकार के अवैध रूप से मंहगे दामों में बेचकर आम जन-मानस के जीवन से खिलवाड करता था। इसके पूर्व भी अभियुक्त जेल जा चुका है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त-

01.अनिल सिंह पुत्र चेतराम निवासी 544/1027 एकता नगर बरौरा हुसैन बाडी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिल सिंह-

01.मु0अ0सं0- 395/17, धारा- 13 सार्वजिनिक जुआ अधिनियम, 1867 थाना मोहनलालगंज लखनऊ
02.मु0अ0सं0- 1225/18, धारा- 13 सार्वजिनिक जुआ अधिनियम, 1867 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
03.मु0अ0सं0- 60/19, धारा- 420/120बी आईपीसी व 60 आबकारी अधिनियम थाना ठाकुरगंज लखनऊ
04.मु0अ0सं0-128/2025 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 उ0प्र0 आबाकारी अधि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण- कुल 22 पेटी शराब कुल कीमती करीब 2,50,000/- रूपये

- 07 अदद बैंग जिनमें 257 बोतल विस्की 111ACE ब्रांड चंडीगढ़
- दो अदद बैग जिसमें 62 बोतल बाम्बे स्पेशल विस्की
- 01 अदद बैंग जिसमें 82 क्वाटर ब्रांड ओल्ड मोंग
- एक अदद गत्ता (पेटी) 8 बोतल ब्रांड नैना XXX रम
- एक अदद गत्ता (पेटी) 18 क्वाटर ब्रांड आईकोनिक ह्वाईट
- एक अदद गत्ता (पेटी) 18 क्वाटर ब्रांड बी7
- एक अदद गत्ता (पेटी) 20 हाँफ ब्रांड 8 पीएम गोल्ड
- दो अदद गत्ता (पेटी) 46 हाँफ ब्रांड इम्पीरियल ब्लू
- एक अदद गत्ता (पेटी) 22 हाँफ ब्रांड आईकोनिक
- एक अदद गत्ता (पेटी) 48 क्वाटर ब्रांड मैक डावल
- एक अदद बोरी 71 क्वाटर ब्रांड इम्पीरियल ब्लू
- एक अदद गत्ता (पेटी) 11 क्वाटर ब्रांड मैंक डावल नं0-1
- एक गत्ता 09 क्वाटर राँयल स्टेग
- एक गत्ता 09 क्वाटर ब्लैडर प्राइड,
- 01 गत्ता में 19 खाली बोतल ब्लैंक एंड ह्वाईट
- 01 गत्ता में 12 खाली बोतल ब्लडर प्राईड
- 01 अदद बोरी में ढक्कन भिन्न ब्रांड के
- दो बोरी में खाली बोतल/हाँफ/क्वाटर भिन्न भिन्न कम्पनियो के
- 04 अदद फर्जी/कूटरचित पोस्टर बारकोड
- फर्जी/कूटरचित ओल्ड मोंग स्टिकर 66 पीस
- 02 अदद फेवीक्विक , एक अदद छोटा पेंचकस व एक अदद छोटा सुजा बोतलो के ढक्कन खोलने व बन्द करने के लिए , एक अदद टेप गत्ते सील करने के लिए

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री श्रीकांत राय, व0उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार, हे0का0 अरूण कुमार मिश्रा, का0 कुलदीप कुमार कुशवाहा, का0 शिवम सिंह, का0 दीपनारायण, म0का0 शिखा शुक्ला, म0का0 स्नेहा कुमारी थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-605

दिनांक- 10.03.2025

जोन- पूर्वी / थाना- पीजीआई

- **शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.03.2025 को वादिनी/पीड़िता की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व उसके गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात करा देने व उसके पैसे व ज्वैलरी हड़प लेने व अभि0 के भाई द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 69/89/316(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम- 1. अंशू पुत्र करतार निवासी भाई जी का पुरवा खुर्दही पोस्ट हसनपुर खेवली थाना अंसलगोल्फ सिटी लखनऊ 2. अंशू का भाई नि0- उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री दिनकर वर्मा द्वारा सम्पादित करते हुये साक्ष्यो संकलन व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभि0 अंशू सिंह उर्फ हवलदार पुत्र करतार सिंह नि0- माई जी का पुरवा पो0- हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष को फल मंड़ी के चौराहे से 50 मीटर पहले, तेलीबाग थाना पीजीआई, लखनऊ से अभि0 अंशू सिंह उर्फ हवलदार उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त का हवाला देते हुए उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.अंशू सिंह उर्फ हवलदार पुत्र करतार सिंह नि0- माई जी का पुरवा पो0- हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष

03-अभि0 अंशू सिंह उर्फ हवलदार का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 113/2025 धारा 69/89/316(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

अन्य मुकदमो की जानकारी अलग से की जा रही है।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना पीजीआई -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, थाना पीजीआई लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री दिनकर वर्मा, थाना पीजीआई लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री पंकज नायक, थाना पीजीआई लखनऊ।
4. का0 सुमित कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।
5. का0 पवन कुमार , थाना पीजीआई लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-607
दिनांक 10.03.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना -माल

- **अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

उ0नि0 अमरपाल साहू मय हमराही कर्मचारीगण के अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालो के विरुध्द अभियान में ग्राम बघोलवा में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति शाहपुर गोड़वा मोड़ के पास अवैध कच्ची शराब बेच रहा है, मुखबिर खास की इस सूचना पर थाना माल पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को शाहपुर गोड़वा मोड़ से मय 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 65/25 धारा 60 Ex Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.नन्हक्के पुत्र डल्ला निवासी ग्राम बघोलवा थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष

03- बरामदगी-

- 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

04-सम्बन्धित अभियोग:

01.मु0अ0सं0 65/25 धारा 60 Ex Act थाना माल जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अमरपाल साहू
2- मु0आ0 आदित्य कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-606
दिनांक-10.03.2025

जोन-मध्य/थाना-मदेयगंज

- **नाबालिक बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से गलत काम करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.03.2025 को वादी की तहरीरी बावत नामित अभियुक्त द्वारा वादी के नाबालिक पुत्र के साथ गलत काम करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-035/2025 धारा 9(M)/10, 11/12 पॉक्सो एक्ट बनाम चन्दन कुमार के पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम मे पीडित गण के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 9(m)/10 पाक्सो एक्ट को धारा 5(m)/6 पाक्सो में तरमीम किया गया। घटना कारित कर अभियुक्त फरार हो गया था। घटना का सफल अनावरण किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय के निर्देशन तथा अपर पुलिस उपायुक्त मध्य श्रीमती मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महानगर लखनऊ सुश्री नेहा त्रिपाठी के निकट निर्देशन मे, प्रभारी निरीक्षक मदेयगंज श्री राजेश सिंह के कुशल नेतृत्व मे थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा चन्दन कुमार पुत्र सुमेरचन्द्र निवासी 482/45 भाण्डोटोला डालीगंज थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष को वादी की सूचना पर मोहन मेकिन गेट के पास से जुर्म धारा अन्तर्गत धारा 5(m)/6, 11/12 पॉक्सो एक्ट से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-आनवरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0-035/2025 धारा धारा 5(m)/6, 11/12 पॉक्सो एक्ट थाना मदेयगंज लखनऊ

03-अभियुक्त का नाम पता-

1.चन्दन कुमार पुत्र सुमेरचन्द्र निवासी 482/45 भाण्डोटोला डालीगंज थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 राजेश सिंह थाना मदेयगंज जनपद-लखनऊ
2.उ0नि0 अमरनाथ थाना मदेयगंज लखनऊ
3.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ

04-आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	08/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
2	09/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
3	10/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
4	11/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
5	12/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
6	41/2021	409/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ
7	139/2021	409/419/420/467/468/471/120B IPC	गोमतीनगर	लखनऊ
8	938/2020	409/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर	लखनऊ

02-संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता अनीता वर्मा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, इसके पास पैतृक सम्पत्ति नाम मात्र की है तथा धीरे-धीरे अपने पिता के आपराधिक कृत्यों में सहयोग करते हुए अपराध जगत में प्रवेश कर वर्ष 2016 में अपराध में पूर्णतया संलिप्त हो गयी। इस बीच वर्ष 2019 में अभियुक्ता अनिता वर्मा का विवाह नीरज कुशवाहा के साथ सम्पन्न हुआ और वह अपने पति नीरज कुशवाहा के साथ ससुराल व वर्ष 2019 में अपराध के धन से खरीदे गये मकान एफ-1/4 प्रथम तल मोहनी रेजीडेन्सी ग्राम हरिहरपुर डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में रहने लगी।

अभियुक्ता अनिता वर्मा गैंग में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने पिता, भाई व माता आदि के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध कारित करने लगी। अभियुक्ता अनिता वर्मा उपरोक्त अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से विलासिता पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ जीने लगी तथा अपराध को अन्जाम देने के लिए तथा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ अपराध जगत में प्रवेश कर गयी।

अभियुक्ता अनिता वर्मा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से अपराध करने के लिए गैंग बनाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर भारत सरकार का कूटरचित व फर्जी दस्तावेज व प्रपत्र दिखाकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जिलों में सोलर पम्प व पानी की टंकी सेनीटेशन यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट कार्य/टेण्डर देने व लोक-लुभावन स्कीम के नाम पर आम जनमानस के लोगों से भारी-भरकम रकम सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प लेती थी तथा कूटरचित व फर्जी प्रपत्र दिखाकर आम जनमानस के लोगों से एग्रीमेंट तैयार कर आर0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट व आर0एस0 एसोसिएट्स एण्ड सन्स के विभिन्न खातों में आम जनमानस से ठगे गये रूपये प्राप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अनैतिक ढंग से प्राप्त करती थी।

जिसमें अभियुक्ता अनिता वर्मा, गैंगलीडर सुरेश कुमार वर्मा व अन्य अभियुक्तगण को सुनियोजित तरीके से अपराध करने में सहयोग व सहायता प्रदान करती थी। अभियुक्ता के उक्त आपराधिक कृत्यों से जनता में इतना भय व दहशत व्याप्त हो गयी है, कि सामान्यतः जनता के लोग उसके आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में शिकायत करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, और अपराध के माध्यम से ही अब तक चिन्हित **59,90,347.95 (उन्सठ लाख नब्बे हजार तीन सौ सैतालिस रूपये पन्चानवे पैसे)** की धनराशि की चल व अचल सम्पत्ति है, जिसके अर्जन का अभियुक्ता के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।

03-कुर्क संपत्तियों का विवरण-

- अभियुक्ता अनिता वर्मा के नाम एक अदद मकान संख्या एफ-1/4 प्रथम तल मोहनी रेजीडेन्सी ग्राम हरिहरपुर डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ क्षेत्रफल 334.386 वर्गमीटर
- अभियुक्ता अनिता वर्मा उपरोक्त के यूनियन बैंक खाता संख्या 586602010002600 शाखा UP SUGAR CORPORATION LUCKNOW में जमा धनराशि 347.95/- (तीन सौ सैतालिस रूपये पन्चानवे पैसे) है।
- अभियुक्ता अनिता वर्मा के नाम वाहन संख्या UP 32 KL 5529 मारूति सिलेरियो

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-604
दिनांक 10.03.2025

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **मु0अ0सं0 204/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।**
- **गैंगस्टर अभियुक्ता अनिता वर्मा की 59,90,347.95 (उन्सठ लाख नब्बे हजार तीन सौ सैतालिस रूपये पन्चानवे पैसे) की संपत्ति को अन्तिम रुप से कुर्क किये जाने का पारित किया गया आदेश-**
- **शातिर अभियुक्ता अनिता वर्मा पत्नी नीरज कुशवाहा निवासिनी 570/एस/81 आजादनगर फौजी कालोनी आलमबाग, लखनऊ (पति का घर), हालपता एफ-1/4 प्रथम तल मोहनी रेजीडेन्सी ग्राम हरिहरपुर डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ वर्तमान पता- 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ (पिता का मकान) द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति, जिसकी कीमत 59,90,347.95 (उन्सठ लाख नब्बे हजार तीन सौ सैतालिस रूपये पन्चानवे पैसे) को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का अन्तिम आदेश पारित किया गया।**

01-कार्यवाही-

माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा शातिर अभियुक्ता अनिता वर्मा पत्नी नीरज कुशवाहा निवासिनी 570/एस/81 आजादनगर फौजी कालोनी आलमबाग, लखनऊ, हालपता एफ-1/4 प्रथम तल मोहनी रेजीडेन्सी ग्राम हरिहरपुर डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ वर्तमान पता- 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उसके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी, अब तक चिन्हित सम्पत्ति **जिसकी कीमत 59,90,347.95 (उन्सठ लाख नब्बे हजार तीन सौ सैतालिस रूपये पन्चानवे पैसे)** को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश दिनांक 18.11.2024 को पारित किया गया था।

आदेश के माध्यम से अभियुक्ता को प्रश्नगत संपत्तियों के संबंध में वैध स्रोत दर्शित किये जाने का अवसर दिया गया, परन्तु अभियुक्ता प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत दर्शित करने मे असफल रही।

राज्य की ओर से विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य रुप से कहा गया, कि अभियुक्ता के पास प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का कोई वैध ज्ञात स्रोत नहीं हैं, इसलिए कुर्की आदेश अन्तिम रुप से पारित किए जाने योग्य हैं।

विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए,आज दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्ता की कुर्क संपत्तियों को अन्तिम रुप से राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

कूटरचित व फर्जी दस्तावेज व प्रपत्र दिखाकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जिलों में सोलर पम्प व पानी की टंकी सेनीटेशन यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट कार्य/टेण्डर देने व लोक लुभावन स्कीम के नाम पर आम जनमानस के लोगों से भारी-भरकम रकम सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प लेता था तथा कूटरचित व फर्जी प्रपत्र दिखाकर आम जनमानस के लोगों से एग्रीमेंट तैयार कर आर0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट व आर0एस0 एसोसिएट्स एण्ड सन्स के विभिन्न खातों में आम जनमानस से ठगे गये रूपये प्राप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अनैतिक ढंग से प्राप्त करता था। अभियुक्त के उक्त आपराधिक कृत्यों से जनता में इतना भय व दहशत व्याप्त हो गयी है, कि सामान्यतः जनता के लोग उसके आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में शिकायत करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, और अपराध के माध्यम से ही अब तक चिन्हित **1,92,120/- (एक लाख बानवे हजार एक सौ बीस रूपये)** की धनराशि की चल व अचल सम्पत्ति है, जिसके अर्जन का अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।

कुर्क संपत्तियों का विवरण-

- अभियुक्त घनश्याम वर्मा के नाम से वाहन संख्या UP 32 KA 6843 रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल जिसकी सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से निर्धारित कीमत 68,000/-(अड़सठ हजार रूपये) व वर्तमान बाजारू कीमत करीब 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार रूपये) है।
- अभियुक्त घनश्याम वर्मा के केनरा बैंक खाता संख्या 5522108000085 शाखा 5522 LUC में धनराशि 17,120/- (सत्रह हजार एक सौ बीस रूपये) जमा है।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	08/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
2	09/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
3	10/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
4	11/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
5	12/2021	406/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
6	41/2021	409/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
7	139/2021	409/419/420/467/468/471/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
8	1429/2019	406/417/420/506/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
9	938/2020	409/419/420/467/468/471/120बीIPC	गोमतीनगर,लखनऊ
10	625/2021	406/420/467/468/471/504/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
11	836/2022	409/420/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
12	287/2020	406/420/467/468/471/504/506 IPC	मुंडाली, मेरठ
13	326/2020	406/420 IPC	मुंडाली, मेरठ
14	47/2022	323/406/419/420/467/468/471/504/506 IPC	झूंसी-नगर,प्रयागराज

04-आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	08/2021	406/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
2	09/2021	406/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
3	10/2021	406/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
4	11/2021	406/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
5	12/2021	406/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
6	41/2021	409/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
7	139/2021	409/419/420/467/468/471/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
8	1429/2019	406/417/420/506/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
9	938/2020	409/419/420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
10	625/2021	406/420/467/468/471/504/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
11	234/2022	409/420/506 IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
12	836/2022	409/420/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
13	56/2021	409/420/506 IPC	कैण्ट,लखनऊ
14	287/2020	406/420/467/468/471/504/506 IPC	मुंडाली, मेरठ
15	326/2020	406/420 IPC	मुंडाली, मेरठ
16	47/2022	323/406/419/420/467/468/471/504/506 IPC	झूंसी नगर,प्रयागराज
17	225/2020	406/420 IPC	कोतवाली नगर,अयोध्या
18	448/2021	120बी/406/417/420/467/468/471/504/506 IPC	कोतवाली नगर,अयोध्या
19	965/2016	419/420 IPC	ऊँचाहार,रायबरेली

विलासिता पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ जीने लगी तथा अपराध को अन्जाम देने के लिए तथा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ अपराध जगत में प्रवेश कर गयी।

अभियुक्ता कमलावती वर्मा अपने गैंग के गैंगलीडर व सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से अपराध करने के लिए गैंग बनाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर भारत सरकार का कूटरचित व फर्जी दस्तावेज व प्रपत्र दिखाकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जिलों में सोलर पम्प व पानी की टंकी सेनिटेशन यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट कार्य/टेण्डर देने व लोकलुभावन स्कीम के नाम पर आम जनमानस के लोगों से भारी-भरकम रकम सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प लेती थी तथा कूटरचित व फर्जी प्रपत्र दिखाकर आमजनमानस के लोगों से एग्रीमेंट तैयार कर आर0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट व आर0एस0 एसोसिएट्स एण्ड सन्स के विभिन्न खातों में आमजनमानस से ठगे गये रूपये प्राप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अनैतिक ढंग से प्राप्त करती थी, जिसमें अभियुक्ता कमलावती वर्मा गैंगलीडर सुरेश कुमार वर्मा व अन्य अभियुक्तगण को सुनियोजित तरीके से अपराध करने में सहयोग व सहायता प्रदान करती थी।

अभियुक्ता के उक्त आपराधिक कृत्यों से जनता में इतना भय व दहशत व्याप्त हो गयी है, कि सामान्यतः जनता के लोग उसके आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में शिकायत करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, और अपराध के माध्यम से ही अब तक चिन्हित **2,75,07,206/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ छः रूपये)** की धनराशि की सम्पत्ति है, जिसके अर्जन का अभियुक्ता के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।

<u>03-कुर्क संपत्तियों का विवरण-</u>

- अभियुक्ता कमलावती वर्मा के नाम एक अदद मकान संख्या 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ क्षेत्रफल करीब 200 वर्गमीटर
- अभियुक्ताकमलावती वर्मा उपरोक्त द्वारा केनरा बैंक खाता संख्या 5522101001979 शाखा 5522 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में जमा धनराशि 7,206/- (सात हजार दो सौ छः रूपये) है।

<u>04-आपराधिक इतिहास-</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	08/2021	406/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
2	09/2021	406/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
3	10/2021	406/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
4	11/2021	406/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
5	12/2021	406/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
6	41/2021	409/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
7	139/2021	409/419/420/467/468/471/120 बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
8	1429/2019	417/420/406/506/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
9	938/2020	409/419/420/467/468/471/120बी IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
10	625/2021	406/420/467/468/471/504/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
11	836/2022	409/420/506/120B IPC	गोमतीनगर,लखनऊ
12	47/2022	323/406/419/420/467/468/471/504/506 IPC	झूंसी नगर,प्रयागराज
13	326/2020	406/420 IPC	मुंडाली, मेरठ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-603
दिनांक 10.03.2025

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **मु0अ0सं0 204/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।**
- **गैंगस्टर अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा की 78,89,162.64/- (अठहत्तर लाख नवासी हजार एक सौ बासठ रूपये व चौसठ पैसे) की संपत्ति को अन्तिम रुप से कुर्क किये जाने का पारित किया गया आदेश-**
- **शातिर अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा पुत्र राम सुभाग वर्मा निवासी 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ कार्यालय पता 2/233 विकासखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति, जिसकी कीमत 78,89,162.64/- (अठहत्तर लाख नवासी हजार एक सौ बासठ रूपये व चौसठ पैसे) को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का अन्तिम आदेश पारित किया गया।**

01-कार्यवाही-

माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा शातिर अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा पुत्र राम सुभाग वर्मा निवासी 2/212 विकासखण्ड थाना गोमतीनगर, लखनऊ कार्यालय पता 2/233 विकासखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उसके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी अब तक चिन्हित सम्पत्ति **जिसकी कीमत 78,89,162.64/- (अठहत्तर लाख नवासी हजार एक सौ बासठ रूपये व चौसठ पैसे)** को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश दिनांक 18.11.2024 को पारित किया गया था।

आदेश के माध्यम से अभियुक्त को प्रश्नगत संपत्तियों के संबंध में वैध स्रोत दर्शित किये जाने का अवसर दिया गया, परन्तु अभियुक्त प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत दर्शित करने मे असफल रहा। राज्य की ओर से विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य रुप से कहा गया, कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का कोई वैध ज्ञात स्रोत नहीं हैं, इसलिए कुर्की आदेश अन्तिम रुप से पारित किए जाने योग्य हैं। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए,आज दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्त की कुर्क संपत्तियों को अन्तिम रुप से राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, इसके पास पैतृक सम्पत्ति नाम मात्र की है तथा धीरे-धीरे आपराधिक कृत्यों को करते हुए अपराध जगत में प्रवेश कर वर्ष 2016 में अपराध में पूर्णतया संलिप्त हो गया। अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध कारित करने लगा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 608
दिनांक-10.03.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब

- **थाना बीकेटी, लखनऊ क्षेत्र में हुए 16 लाख(लगभग) की लूट सूचना का थाना बीकेटी लखनऊ पुलिस एवं क्राइम टीम उत्तरी लखनऊ द्वारा 24 घण्टे के अन्दर किया गया खुलासा।**
- **कम्पनी के कैश एजेण्ट द्वारा कलेक्ट किये गये पैसे खुद रख लेने व लूट की झूठी सूचना प्रसारित किया गया।**
- **अभियुक्त के पास लूटी हुयी सूचना की धनराशि का शत-प्रतिशत (15,56,876/- रूपये) बरामद।**
- **अभियुक्त के ऊपर कर्ज होने कारण कम्पनी का रूपया गबन करने की घटना कारित करना।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

आवेदक श्री शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शत्रोहन सिंह निवासी मोहला निल मथा विजयनगर थाना कैण्ट लखनऊ (रिस्क मैनेजनर रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड) द्वारा दिनांक 10.03.2025 को थाना पर सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके कम्पनी के कर्मचारी बृजेश कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रेवामऊ थाना महिगवाँ लखनऊ से 15,56,876/- रूपये लूट लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 309(2) बीएनएस दर्ज किया गया।

लुटे हुए व्यक्ति बृजेश कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रेवामऊ थाना महिगवाँ, लखनऊ से पूछताछ के क्रम में लूट की सूचना संदिग्ध प्रतीत हुयी। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताँछ में रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी वृजेश कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा ही कलेक्ट किये गये पैसे खुद रख लेने तथा लूट की झूठी कहानी बनाकर प्रसारित करने तथा कम्पनी के कर्मचारी होते हुए भी स्वयं उपरोक्त रूपयों का तथ्य प्रकाश में आया। अभियुक्त वृजेश कुमार सिंह के निशादेही पर लूटी हुयी सूचना की धनराशि का शतप्रतिशत (15,56,876/- रूपये) बरामद की गयी। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

02-अपराध का उद्देशयः-

कम्पनी के कर्मचारी द्वारा ही कम्पनी का पैसा गबन करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. बृजेश कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रेवामऊ थाना महिगवाँ, लखनऊ

04-बरामदगीः-

➢ अभियुक्त के पास 15,56,876/- रूपये (शतप्रतिशत) बरामद

अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा उपरोक्त अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से विलासिता पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ जीने लगा तथा अपराध को अन्जाम देने के लिए तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपराध जगत में प्रवेश कर गया।

अभियुक्त ने संगठित तरीके से अपराध करने के लिए गैंग बनाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन प्रशासन में अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर भारत सरकार का कूटरचित व फर्जी दस्तावेज व प्रपत्र दिखाकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जिलों में सोलर पम्प व पानी की टंकी सेनीटेशन यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट कार्य/टेण्डर देने व लोक लुभावन स्कीम के नाम पर आम जनमानस के लोगों से भारी-भरकम रकम सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प लेता था तथा कूटरचित व फर्जी प्रपत्र दिखाकर आम जनमानस के लोगों से एग्रीमेंट तैयार कर आर0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट व आर0एस0 एसोसिएट्स एण्ड सन्स के विभिन्न खातों में आम जनमानस से ठगे गये रूपये प्राप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अनैतिक ढंग से प्राप्त करता था।

अभियुक्त के उक्त आपराधिक कृत्यों से जनता में इतना भय व दहशत व्याप्त हो गयी है, कि सामान्यतः जनता के लोग उसके आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में शिकायत करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं, और अपराध के माध्यम से ही अब तक चिन्हित **78,89,162.64/- (अठहत्तर लाख नवासी हजार एक सौ बासठ रूपये व चौसठ पैसे)** की धनराशि की चल व अचल सम्पत्ति है, जिसके अर्जन का अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।

03-कुर्क संपत्तियों का विवरण-

- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के नाम से वाहन संख्या UP 32 KF 2703 ट्रैक्टर एस्कार्ट
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा द्वारा बनाये गये आर0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट के Indusind Bank के खाता संख्या 100080388998 IFSC CODE- INDB0000005 में धनराशि 72,11,432.18/- (बहत्तर लाख ग्यारह हजार चार सौ बत्तीस रूपये अट्ठारह पैसे) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के केनरा बैंक शाखा गोमतीनगर विस्तार के खाता संख्या 5522101001909 में धनराशि 6,602/- (छः हजार छः सौ दो रूपये) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के केनरा बैंक शाखा गोमतीनगर विस्तार के खाता संख्या 5522101000515 में धनराशि 81,468.29/- (इक्यासी हजार चार सौ अड़सठ रूपये उन्तीस पैसे) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के केनरा बैंक शाखा गोमतीनगर विस्तार के खाता संख्या 55221011001925 में धनराशि 20,626.77/- (बीस हजार छः सौ छब्बीस रूपये सतहत्तर पैसे) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के केनरा बैंक शाखा गोमतीनगर विस्तार के खाता संख्या 5522201000144 में धनराशि 17,120/- (सत्रह हजार एक सौ बीस रूपये) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा द्वारा केनरा बैंक शाखा गोमतीनगर विस्तार में आर0ए0 एसोसिएट्स एण्ड सन्स के फिक्स डिपोजिट एकाउण्ट के खाता संख्या 5522401001186 में धनराशि 16,712/- (सोलह हजार सात सौ बारह रूपये) व 49072/- (उन्चास हजार बहत्तर रूपये) जमा है।
- अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा के SBI BANK शाखा वृन्दावन लखनऊ के खाता संख्या 20095020437 में धनराशि 6,129/- (छः हजार एक सौ उन्तीस रूपये) जमा है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना बीकेटी:-

- **थाना बीकेटी पुलिस टीम**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह
2. निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र दुबे
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
4. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र मिश्रा
5. आरक्षी सचिन कुमार

- **क्राइम ब्रान्च व क्राइम टीम लखनऊ**

1. प्रभारी निरीक्षक स्वाट/ थाना मड़ियांव शिवानंद मिश्रा
2. उप निरीक्षक प्रकाश सिंह
3. हेड कांस्टेबल इंद्र प्रताप
4. हे0का0 जीत सिंह
5. का0 देशराज मुखिया
6. हे0का0 दिलीप सिंह

- **सर्विलांस/क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी**

1. उ0नि0 विश्वनाथ प्रताप सिंह
2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हेड कांस्टेबल नदीम
4. हेड कांस्टेबल संतोष कुमार
5. हेड कांस्टेबल अमित कुमार गौतम
6. कांस्टेबल राघवेंद्र प्रताप सिंह